


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कुम्भलगढ़

:- आदेश :-

प्रार्थी के "जाता गुरुत्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जनक व मूअदि जनक व रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बोर की अनुशांथा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 195 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जनक तहसील गढ़बोर व जिला राजसमन्द व जनानगी सन्वत् 2012-2015 में सजाता सन्वत् 11 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	जाता सन्वत्	वर्तमान प्राविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जनक	11	अमृतलाल	अमृतलाल



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
 सहायक कलक्टर (राज.)
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़

क्रमांक :- 3/2019 जा०फा 136

दिनांक :- 27/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बोर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री अमृत लाल शतलाल जनक को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रायली।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
 सहायक कलक्टर (राज.)
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़